5

अध्याय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

कोल इंडिया लिमिटेड (सी आई एल)

कोल इंडिया लिमिटेड (सी आई एल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व के कोयला खनन कार्पोरेट के रूप में नवम्बर, 1975 में अस्तित्व में आया। हालांकि अपने शुरूआती वर्ष में इसने 79 मिलियन टन का कम उत्पादन दर्ज किया परन्तु आज विश्व में एक सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है।

➢ सी आई एल खान से मार्किट तक सर्वोत्तम क्रियाविधि के जरिए पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक घटक के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक कंपनी का प्रमुख होता है जिसे 4 कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त) और निदेशक (विपणन) सहयोग करते हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी का अपना निदेशक मंडल होता है और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसका अध्यक्ष होता है जिसे सात उत्पादन कंपनियों में प्रत्येक के 4 कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (कार्मिक, निदेशक (वित्त), निदेशक (आयोजना एवं परियोजना) तथा निदेशक (तकनीकी) सहयोग करते हैं। सी एम पी डी आई एल के निदेशक मंडल में चार कार्यकारी निदेशक होते हैं। जिन्हें निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कोयला उत्पादन एवं उपयोगिता), निदेशक (आयोजना एवं डिजाइन) तथा निदेशक (अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) के रूप में नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सी आई एल बोर्ड तथा इसकी सहायक कंपनियों में कई अंश–कालिक अथवा मनोनीत निदेशक होते हैं जिन्हें कंपनी अन्तर्नियम तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नियुक्त किया जाता है।

➢ सी आई एल की कार्यनीतिक प्रासंगिकता

- भारत के समग्र कोयला उत्पादन का लगभग 81.1% उत्पादन करती है
- भारत में जहां लगभग 52% प्रमुख वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता कोयले पर निर्भर है वहां सी आई एल अकेले 40% प्रमुख वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता पूरी करता है।
- लगभग 74% भारतीय कोयला मार्किट को नियंत्रित करता है।
- भारत में 86 में से 82 कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों की मांग पूरी करती है।
- उपयोगिता क्षेत्र की कुल 76% थर्मल पावर उत्पादन क्षमता के लिए जिम्मेदार है।
- अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में की गई कमी के आधार पर कोयले की आपूर्ति करती है।
- भारतीय कोयला उपभोक्ताओं को मूल्य के उत्तर–चढ़ाव को झेल पाने लायक बनाती है।
- एण्ड यूजर उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती है।

➢ 2014–15 में उपलब्धियां

- दिसम्बर 2014–15 तक सी आई एल ने 23.18 मि.टन संवर्धित उत्पादन किया और पिछले साल उसी अवधि में 13.02 मि.टन का संवर्धित आफ–टेक किया। इसने दिसम्बर 2014 तक एन टी पी सी को 89.5% प्रतिबद्ध मात्रा सहित विद्युत उपयोगिताओं की एफ एस प्रतिबद्धताओं के तहत अपनी लगभग 84% आपूर्ति भी पूरी की। दिसम्बर, 14 तक कंपनी का कोयला उत्पादन और आफ–टेक क्रमशः 342.38 मि.टन और 354.66 मि. टन था जो पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 319.20 मि.टन कोयला उत्पादन और 341.64 मि.टन आफटेक से अधिक था। दिसंबर, 14 तक 293.23 मि. टन के लक्ष्य की तुलना में विद्युत क्षेत्र को 279.78 मि. टन कोयला भेजा गया जो पिछले साल उसी अवधि की तुलना में 9.4% अधिक था
- 2014–15 की तीसरी तिमाही तक सी आई एल एवं इसकी सहायक कंपनियों ने 14,592.48 करोड़ रुपए का पी बी टी और 9,488.15 करोड़ रुपए का पी ए टी हासिल किया। सी आई एल और इसकी सहायक कंपनियों ने रॉयल्टी, सेस, बिक्री कर और अन्य उगाहियों हेतु 14–15 की तीसरी तिमाही तक 14,088. 53 करोड़ रुपए का भुगतान/समायोजन किया।

- 27 फरवरी, 2015 को सी आई एल बोर्ड ने वर्ष 2014–15 के लिए 10/– रु. प्रत्येक के फेस वैल्यू के प्रति शेयर 20.70 रु. अर्थात 207% के आंतरिम लाभांश के भुगतान को अनुमोदित किया। कंपनी से कुल आउट गो 15,601.19 करोड़ रुपए था। इसमें से भारत सरकार जिसके पास कंपनी का 79.65% शेयर थे, को 10,414.13 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को 2,526.32 करोड़ रुपए का लाभांश वितरण कर भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार सरकार को कुल 12,940.45 करोड़ रुपए मिले।

- जनवरी, 2015 में सी आई एल विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से 22,557.63 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। यह केन्द्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों के बीच अब तक का सबसे बड़ा विनिवेश है। इसी के साथ भारत सरकार ने बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओ एफ एस) विधि के जरिए 89.65% की अपनी शेयरधारता में से सी आई एल में आगे 10% प्रदत शेयर पूंजी का विनिवेश किया है।

- 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार सी आई एल और इसकी सहायक कंपनियों में श्रमशक्ति की सं. 336675 है। श्रमशक्ति की कंपनी की स्थिति निम्नानुसार है:–

कंपनी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (31.12.2014 तक)
ई सी एल	78009	74276	71826	69477
बी सी सी एल	64884	61698	58960	57010
सी सी एल	50026	48126	46686	45551
डब्ल्यू सी एल	56989	54960	52484	50489
एस ई सी एल	76078	73718	70910	68736
एम सी एल	22023	22065	22278	22210
एन सी एल	16329	16073	16741	16392
एन ई सी	2538	2376	2199	2057
सी एम पी डी आई एल	3129	3142	3135	3381
डी सी सी	562	551	512	490
सी आई एल (मुख्या.)	979	941	907	882
कुल	371546	357926	346638	336675

➢ सी आई एल में परिवर्तनकारी एच आर पहल

- सी आई एल ने वर्ष 2019–2020 तक एक बिलियन कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्पोरेट योजना तैयार की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मुख्य रणनीतियों में ब्राउन फील्ड की उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करना, ग्रीनफील्ड प्रचालनों के लिए उद्यमशील कार्य योजना, व्यापक आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी अंगीकरण शामिल है। उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करना व्यापक तौर पर 19000 से अधिक कंपनी के कार्यकारी कैडर कर्मचारियों और 3.4 लाख गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के परिभाषित योगदान पर निर्भर करता है क्योंकि ये इस संगठन की संयुक्त मानव पूंजी हैं। एच आर जो कि इस कार्पोरेट योजना के रणनीतिक भागीदार है, ने कार्पोरेट योजना के निष्पादन हेतु इस संगठन की एच आर रणनीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की है।

- सी आई एल ने सुविज्ञ साझेदार के रूप में के पी एम जी से साथ सी आई एल में एच आर की भूमिका पुनः परिभाषित करने तथा व्यापार संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापारोन्मुखी एच आर सृजित करने के उद्देश्य से अपनी एच आर नीतियों एवं नियमों का व्यापक अध्ययन कार्य पूरा किया है ताकि एच आर रणनीतियां व्यापार अपेक्षाओं के बिल्कुल अनुकूल हों। एच आर मैन्युअल की मुख्य रणनीतियों में

एक सशक्त उत्तरोत्तर आयोजना प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी, विकास पर आधारित एक 4 टीचर शिक्षण एवं विकास मोडल, एक उच्च कर्मचारी–कार्यकलाप वातावरण पैदा करने हेतु पुरस्कार एवं पहचान स्कीम योग्यता उन्मुखी कैरिअर प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारियों की आवश्यकताओं को विभिन्न लाभों से जोड़ना उच्च प्रतिभा धारण हेतु परामर्शी एवं स्व–विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। उपयुक्त सभी रणनीतियों के निष्पादन से सीआईएल के विजन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

- उच्च एच आर प्रभाव हेतु इस संगठन में लोगों की प्रक्रियाओं में लगातार सुधार लाने की मंशा से संगठानात्मक अध्ययन जरूरी समझा जाता है। सी आई एल ने ग्रेट प्लेस टू वर्क इन्स्टीच्यूट आफ इंडिया की मदद से वर्ष 2014–15 में संगठनात्मक संस्कृति पर अध्ययन कार्य पूरा किया है। इस अध्ययन से क्षमता और अंतर के क्षेत्र में पूरी जानकारी मिली है। चिंता के क्षेत्रों का समाधान करने के लिए परियोजनाएं विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जा रहा है। इस अध्ययन से पता चलता है कि सी आई एल का ट्रस्ट इंडेम्स स्कोर (75%) भारत में ऊर्जा क्षेत्र के औसत ट्रस्ट इंडेक्स स्कोर (73%) और पी एस ई के स्कोर (72%) से अधिक है।

- सी आई एल ने बहु स्रोतों से पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 5000 प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती की है। उन्हें कंपनी के वरिष्ठ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आफ–द–जाव और आन–द–जाब प्रशिक्षण देकर जेन नेक्सट लीडर्स के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अध्ययन से संगठनात्मक संस्कृति में आसानी से समाहित होने के अलावा जेन नेक्स्ट लीडर्स को वरिष्ठ नेताओं से संगठन का अंतर्निहित होगी।

- सी आई एल ने अगले 5 वर्षों में जेन नेक्स्ट पूल के अंदर लगभग 6000 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को शामिल करने की योजना बनाई है ताकि रणनीति कार्यान्वयन हेतु सतत रूप से प्रतिभावान व्यक्तियों को भेजा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

➢ सी आई एल के लोगों का कार्य–निष्पादन

कर्मचारी भारत के कोयला खनन के केन्द्र बिन्दु हैं और सी आई एल में पीपल प्रोसेसेज में न केवल कंपनी के प्रचालन के वैल्यू चेन में बहुविध हितधारकों की चिंताओं को शामिल किया जाता है अपितु उनको भी शामिल किया जाता है जो ऐसे प्रचालनों से प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः प्रभावित होते हैं। बहुविध हितधारकों में कंपनी के अपने कर्मचारी और उनके परिवार, कोल फील्ड, सहायक उद्योगों, कोल फील्ड में प्रचालनरत सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों के 65,000 से अधिक अप्रत्यक्ष कामगार और ग्रामवासी आदि शामिल हैं। सी आई एल वैसी कंपनी जो बड़ा सामाजिक उद्देश्य पूरा करती है, सभी हितधारकों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है और अपने जनोन्मुखी सिद्धातों, नीतियों एवं कार्यक्रमों से स्थायी विकास हेतु हितधारकों और कंपनी की भी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रही है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

➢ कर्मचारी कल्याण

कंपनी कर्मचारी कल्याण के लिए संपूर्ण देख–रेख दृष्टिकोण अपनाती है। कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी की जाती है बल्कि उनके परिवार की आवश्यकता भी पूरी की जाती है। कर्मचारियों को परिवार के लिए मुफ्त आवास, बिजली, जलआपूर्ति आदि प्रदान की जाती है। आवासीय क्षेत्रों में सड़क और अन्य सामुदायिक सुविधाएं जैसे मनोरंजन केंद्र, स्टेडियम, खेल का मैदान, जिम, लाइब्रेरी आदि मौजूद हैं।

कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों और उनके माता पिता देश के अन्दर कहीं भी मुफ्त चिकित्सा उपचार पाने के हकदार हैं। कंपी ने अपने भी प्रचालन क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाएं विकसित की हैं। लगभग 80 अस्पताल, 413 डिस्पेंसरियां तथा 592 एम्बुलेंस हैं जो कर्मचारियों और उनक परिवार के सदस्यों की चिकित्सा सेवा में लगे हुए हैं। 1268 चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ हैं जो उन्हें 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं।

कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक सुविधाएं सृजित की गई हैं। गुणवत्ता परक शिक्षण प्रदान करने के 63 पब्लिक स्कूल हैं जिनका वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यह सरकारी मेडिकल कालेजों और सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में बच्चों का दाखिला दिलाने के लिए 100: वित्तीय सहायता देते हुए उच्चतर शिक्षा का भी समर्थन करती है।

➢ कर्मचारियों को प्रशिक्षण

कंपनी विशेष एवं सामान्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उनकी सुविज्ञता क्षेत्र को विकसित करने के लिए सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करती है कर्मचारियों का समग्र व्यावसायिक विकास कंपनी की कार्मिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों को संगठन में उच्च पद पाने और जीवन को बेहतर बनाने का मौका मिलता है।

कंपनी ने एक शीर्ष प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ कोल मैनेजमेंट (आई आई सी एम), रांची, प्रत्येक सहायक कंपनी में एक प्रबंधन विकास संस्थान, सभी परियोजनाओं में 102 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और प्रबंधन और कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए 27 अन्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। वर्ष 2013–14 में, 93825 कर्मचारियों को विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों एवं कौशलों में प्रशिक्षण दिए गए हैं। कंपी ने विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करेने हेतु बाहरी एजेंसियों के साथ करार भी किए हैं।

➢ प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर कर्मचारियों और प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से निर्णय को प्रभावित करने वाले कर्मचारियों को लिया जा रहा है। सभी परियोजनाओं में आवास समिति कल्याण समिति कैंटीन समिति आदि जैसे द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कल्याण से जुड़ मुद्दों का समाधान करने के लिए यूनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कार्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत द्विपक्षीय बैठके की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है और कंपनी के अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे। संयुक्त परामर्शदात्री समिति विभिन्न रणनीतिक मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों को देखती है। इन सभी निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

➢ ठेका कामगार

कंपनी निकट ग्रामीण वासियों के लिए रोजगार का स्रोत है। विभिन्न आउट सोर्स कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खदानों में नियोजित लगभग 65000 ठेका कामगार (उनमें से ज्यादातार निकटवर्ती गांवों के हैं) हैं। कंपनी ठेकेदार द्वारा ठेका कामगारों के वेतन और कल्याण से जुड़े सभी विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कोल इंडिया में ठाक कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है जो कि न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। उपरोक्त के अतिरिक्त कंपनी ठेकेदार के कामगारों को मुफ्त में कंपनी की सुविधा के तहत चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। सभी अनुबंधित कामगारों की चिकित्सा जांच की जाती है, उन्हें सुरक्षा, प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें निजी रूप से बचाव संबंधी उपकरण दिए जाते हैं। कंपनी द्वारा सभी अनुबंधित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा स्कीम (सी एम पी एफ और सी एम पी एस) के अंतर्गत लाने का सफल प्रयास किया गया है। अनुबंधित कामगारों को पारिश्रमिक का भुगतान केवल बैंक द्वारा भुगतान के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है ताकि इस वजह से कोई शोसन न हो सके।

➢ शिशु श्रमिक / बलात श्रमिक / बंधुआ श्रमिक

कंपनी के प्रचालनों में इसकी मूल श्रृंखला स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेक होल्डरों द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रमिकों, बलात श्रमिकों अथवा बंधुआ श्रमिकों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों की अनिवार्य आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान इसकी मानीटरिंग की जाती है।

➢ एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर से पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, राजनैतिक दलों और अन्य सरकारी / गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकें। कोयला खादनों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध पद्धति के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

➢ गैर–विभेदीकरण

कर्मचारी प्रबंधन में कंपनी गैर–विभेदीकरण के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। धर्म, जाति, प्रांत, पंत, लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों में कोई भेद नहीं किया जाता। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिए जाते हैं।

➢ विशेष समूहों को आरक्षण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों / कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामले में कंपनी राष्ट्रपतीय निदेशों के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करती है।

➢ विविधता प्रबंधन

कंपनी यह प्रयास करती है कि अखिल भारतीय आधारित चयन और कैंपस चयन के माध्यम से पूरे देश के अलग–अलग राज्यों से कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि कर्मचारियों की संरचना में विविधता बनाई रखी जा सके। इसी प्रकार यह अ.जा. अ.ज.जा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को आरक्षण देती है। सी आई एल की जनशक्ति में 21.5% अ.जा. 12.5% अ.ज.जा. तथा 22.4% अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं।

➢ सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा सहायता

सी आई एल ने अपने 3.6 लाख कर्मचारियों तथा उनकी पति/पत्नी को सेवा निवृत्ति पश्चात महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सहायता देने के लिए अपने द्वारा दिए जा रहे लाभों की सूची में सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा को शामिल किया है। कुछ शर्तों के अधीन, इस स्कीम के अंतर्गत इनडोर तथा आउटडोर इलाज के लिए सामान्य मामलों में 5 लाख रुपए तथा 25 लाख रुपए की अधिकतम राशि का हृदय रोग कैंसर, गुरदे की बीमारी तथा पक्षाघात के मामले में अधिक सीमा तक चिकित्सा खर्चों के पुनर्भुगतान का प्रावधान है।

➢ सामाजिक सुरक्षा

सभी कर्मचारी कंपनी के सामाजिक सुरक्षा के स्कीमों के अंतर्गत निम्नानुसार आते हैं।

- **उपदानः** सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक के उपदान का भुगतान किया जाता है।
- **सी एम पी एफः** सभी कर्मचारियों को कोयला खदान भविष्य नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है जो अंशदायी निधि है तथा जिसमें कर्मचारियों और कंपनी द्वारा बराबर–बराबर अंश दान किया जाता है।
- **सी एम पी एसः** कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत मासिक पेंशन के रूप में मूल वेतन का 25% राशि मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनकी पति/पत्नी तथा बच्चे पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
- **कर्मचारी मुआवजाः** ड्यूटी के दौरान मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में वे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसके अलावा, कम्पनी अनुग्रह राशि के रूप में 84600 रुपए तथा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करती है।
- **सी आर एम एसः** सभी कर्मचारी उत्तर चिकित्सा सेवानिवृत्ति योजना के तहत शामिल होते हैं।
- **जीवन बीमा योजनाः** सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उस कर्मचारी के आश्रित जीवन बीमा योजना के तहत 112800.00 रुपए की राशि प्राप्त करने की हकदार होते हैं।
- **आश्रित सदस्य को रोजगारः** किसी कर्मचारी के दौरान मृत्यु होने/विकलांग होने की स्थिति में उनके आश्रितों में से किसी एक सदस्य को कम्पनी में स्थायी नौकरी दी जाती है।

➢ शिकायत प्रबंधन

कम्पनी में स्टेकहाल्डरों अर्थात कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, ग्राहकों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों की शिकायतों की निपटान के लिए एक मजबूत आन लाइन स्टेकहोल्डर शिकायत प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। इस नीति के अंतर्गत सभी शिकायतों का निपटान 10 दिन के भीतर किया जाता है तथा तदनुसार स्टेकधारियों को सूचित किया जाता है।

➢ कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति

कोल इंडिया की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति पहली बार 1994 में तैयार की गई थी और इसे लागू किया गया है जिसमें समय–समय पर संशोधन किया जाता है। वर्ष 2000 से लागू पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में वर्ष 2004 तथा 2008 में संशोधन किए गए हैं। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति को और उदार बनाने के लिए और सी आई एल की सहायक कंपनियों को और अधिक उदारता प्रदान करने के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2012 तैयार की गई है जिसे 13.03.2012 से लागू किया गया है।

इस नीति की कुछ प्रचालनात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- भूमि विस्थापितों को संबंधित अधिनियम अथवा राज्य सरकार के अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार भूमि मुआवजा दिया जाता है।
- प्रत्येक 2 एकड़ की जमीन के बदले विस्थापितों को रोजगार दिया जाता है। जमीन खोने वाले वे व्यक्ति जो रोजगार के योग्य नहीं होते हैं, वे रोजगार के बदले बाजार दर के अनुसार प्रत्येक एक एकड़ की जमीन के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार होते हैं।
- वैकल्पिक आवास स्थल के बदले 3 लाख रुपए की एक मुस्त राशि का भुगतान किया जाता है। वर्कशेड आदि के निर्माण के लिए मौद्रिक मुआवजा भी दिया जाता है।
- प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1 वर्ष के लिए प्रत्येक माह 25 दिनों की न्यूनतम कृषि वेतन की दर से निर्वहन भत्ता दिया जाता है।
- कोल कंपनियां परियोजना से प्रभावित लोगों को गैर–कृषि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। ठेकेदारों को चुनिंदा आधार पर योग्य लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- जहां तक संभव हो कोल कंपनियां जनजातीय समुदाय को 1 इकाई के रूप में स्थानांतरित करते हैं और जनजातीय समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं, इस प्रकार उन्हें अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखने में मदद करती हैं।

- प्रभावित जनजातीय परिवारों को पारंपरिक अधिकार खोने के एवज में 500 दिनों की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

- किसी जिले से विस्थापित प्रभावित जनजातीय परिवारों को 25% अधिक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास स्थल दिया जाता है, एक स्कूल, सड़क जिसमें रोशनी की व्यवस्था हो, पक्की नाली, तालाब, पेय जल की आपूर्ति के लिए ट्यूब वेल, सामुदायिक केंद्र, पूजा स्थल, औषधालय, मवेशियों के चरने के लिए मैदान तथा खेल के मैदान की व्यवस्था की जाती है।

- पुनर्वास कालोनियों जिनमें पी ए पी तथा मेजबान आबादी भी शामिल हैं, के सभी निवासियों के लिए सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

- सामुदायिक सुविधाओं के प्रचालन के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इनमें राज्य तथा स्थानीय स्वशासन/पंचायत को शामिल करने का भरसक प्रयास किया जाता है। सामुदायिक सुविधाओं तथा उनके निर्माण की योजना प्रभावित समुदाय के परामर्श से की जाती है।

➢ पर्यावरण देखभाल

कोयला खनन से सबसे बड़ी हानि भूमि तथा पर्यावरण को नुकसान के रूप में होती है। कोल इंडिया लिमिटेड निरंतर पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दों पर इन खनन कार्यकलापों से होने वाले प्रभावों का निदान करती है। सभी खनन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल खनन प्रणालियों की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण नुकसान निवारण उपायों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने अत्याधुनिक शैटेलाइट निगरानी की व्यवस्था शुरू की है ताकि सभी ओप कास्ट परियोजनाओं का पुनरुद्धार किया जा सके। कोल इंडिया ने 32000 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाने का काम किया है जबकि खनन कार्यकलाप के कारण 12800 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जिसका मतलब है नुकसान हुए प्रत्येक एकड़ के वन के लिए सी आई एल ने 2.5 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाए हैं। इस तरह कोल इंडिया लिमिटेड एक सुनियोजित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं तथा चिरस्थायी विकास कार्यकलापों के माध्यम से पर्यावरण पर कोयला खनन से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'स्वच्छ एवं हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सी आई एल द्वारा जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध है, वहां पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने आज की तारीख तक 73 मिलियन वृक्षारोपण किए हैं। इसका एक सकारात्मक प्रभाव वर्ष 1985 से सिंगरौली कोल फील्ड में बड़े पैमाने पर किए गए वृक्षारोपण से पर्यावरण में हुए सुधार के रूप में देखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1985–1995 तथा 1996–2002 के दौरान कंजरवेटर आफ फारेस्ट द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि सिंगरौली में तापमान में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेट की कमी आई है जबकि औसत बारिश बढ़कर 11.2 दिन हो गए हैं और वार्षिक स्तर पर होने वाली बारिश बढ़कर 105.6 मि.मी हो गई है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आई एस ओ 14001) को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आई एस ओ 9001) के साथ समेकित करना प्रारंभ कर दिया है और आज की तिथि तक अपनी 53 परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक प्रमाण प्राप्त कर लिया है। इस समेकन कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीके से सभी खानों तक विस्तार किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य खनन संबंधी कार्यकलाप असम के माकूम कोल फील्ड में है। वर्तमान में 4 खानों में खनन कार्य किया जा रहा है। ये हैं तीरप, तीकक, लिडो, (ओ सी पी) तथा तिपोंग। इनमें से तीरप, तीकक, लिडो ओपन कास्ट माइंस हैं जबकि तिपोंग भूमिगत माइन हैं। ओपन कास्ट खानों से एनईसी का समूचा कोयला उत्पादन आऊटसोर्स से होता है।

(लाख टन में)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
एन ई सी का कोयला उत्पादन	6.02	6.05	6.63	7.53

वर्ष 2014–15 के दौरान 5 (पांच) पट्टियों में से 4 (चार) पट्टियों से मई 2014 से कोयला उत्पादन किया जा रहा है। कार्य निष्पादन लिडो ओ सी पी में संतोषप्रद नहीं था जिससे समग्र कोल उत्पादन पर असर पड़ा जिसके परिणामस्वरूप आउटसोर्स किए गए ठेकेदारों को हटा दिया गया।

हालांकि नये ठेके की निविदा प्रक्रियाधीन है और उसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। धारा 22 (3) के लागू कि दिए जाने के कारण एन ई सी स्थित तीरण और तीकक ओपन कास्ट खदान में कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ है।

एन ई सी का कार्य निष्पादन (01.04.2014 से 31.12.2014 तक)

1	कोयला उत्पादन	ईकाई	मात्रा
	(i) भूमिगत	लाख टन	0.021
	(ii) ओपन कास्ट	,,	2.998
	कुल		3.019
2	ओ एम एस	,,	
	(i) भूमिगत	टन	0.010
	(ii) ओपन कास्ट	,,	2.710
	कुल	,,	1.020
3	कोयला रवानगी/आफ टेक		
	(i) रवानगी	लाख टन	3.959
	(ii) घरेलू खपत	,,	-
	(iii) ऑफ टेक	,,	3.959
4	पिट हेड कोयला भण्डारण 31.12.2014 को	,,	0.747
5	खदानों की संख्या	संचालनाधीन	04

➢ एन ई सी का कार्य निष्पादन (01.01.2015 से 31.03.2015 तक)

(अनंतिम आंकड़ा)

1	कोयला उत्पादन	ईकाई	मात्रा
	i) भूमिगत	लाख टन	0.009
	ii) ओपन कास्ट	,,	4.502
	कुल	,,	4.511
2	ओ एम एस	,,	
	i) भूमिगत	टन	0.010
	ii) ओपन कास्ट	,,	12.220
	iii) कुल	,,	4.570
3	कोयला रवानगी/आप टेक		
	i) रवानगी	लाख टन	4.041
	ii) घरेलू खपत	,,	-
	iii) आफ टेक	,,	4.041
4	पिट हेड कोयला भण्डारण 31.12.2014	,,	1.217
5	खदानों की संख्या	संचालनाधीन	04

➢ पिछले चार वर्षों और 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) की अवधि के दौरान दर्शाया गया मुनाफा इस तालिका में दर्शाया गया है:

(लाख रु. में)

खदान	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
तिपोंग (यूजी)	(-) 5749.98	(-)5872.69	(-) 6011.03	(-) 5279.12	(-)4889.21
लेडो (यूजी)	(-) 2217.47	(-) 2191.70	(-) 1688.24	(-) 1464.79	(-)1182.90
बारागोलाई (यूजी)	(-) 3838.58	(-)3201.22	(-) 3493.09	(-) 2934.05	(-)2219.75
जोपोर (यूजी)	(-) 54.82	(-) 91.44	(-) 110.73	(-) 122.02	(-)73.78
तीरप (ओसी)	(+) 14883.02	(+) 11070.77	(+) 6423.05	(+) 10718.88	(+)1382.49
तीकक (ओसी)	(+) 10743.80	(+) 15149.79	(+) 5947.83	(+)1.78	(+)427.80
लिडो (ओ सी पी)	(+) 2409.34	(+) 6343.88	(+) 4831.36	(+) 2306.24	(-)780.09
सेवा इकाई	--	--	(+) 674.09	(+) 31.20	-
कुल एन ई सी	(+) 16175.31	(+) 21207.39	(+) 6573.23	(+) 3258.12	(-)7335.44

01.01.15 से 31.3.2015 की अवधि के लविए एन ई सी का अनुमानित मुनाफा/हानि (+) 8355.26 लाख रुपए के क्रम में होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2014–15 के लिए एन ई सी का समग्र मुनाफा/हानि (अनुमानित) (+) 1019.82 लाख रुपए होगा।

➢ नई परियोजनाएं

एन ई सी में नई परियोजनाओं से उत्पादन सूची नीचे तालिका में दी गई है:

(मिलियन टन में)

परियोजना–खदान का नाम	कोयला उत्पादन कार्यक्रम				
	2013–14 वास्तविक	2013–14 वास्तविक अनुमानित	2015–16 (संभावित)	2016–17 (संभावित)	2017–18 (संभावित)
लीडोमेक ओ सी पी	0.097	0.050	0.10	0.15	0.15
लेख पानी ओ सी पी*	--	--	--	0.25	0.25
तीराप चरण II*	--	-	--	0.20	0.20
तीकक एक्टे*	--	--	--	0.25	0.25
पी क्यू ब्लाक	--	--	--	--	--
तिपोंग ओ सी पी	--	--	--	0.10	0.10
तीकक एकीकृत ओ सी पी	--	--	--	--	--
कुल	**0.097**	**0.050**	**0.10**	**0.95**	**0.95**

* पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण एवं बन संबंधी स्वीकृति के अध्यधीन

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड

एन एल सी 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृति हुई औपचारिक खदान 1 में खनन प्रचालन का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को हुआ। नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन को अप्रैल 2011 से 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया है।

एन एल सी वर्तमान में तामिलनाडु राज्य में चार ओपन–कास्ट लिग्नाईट खानों अर्थात खदान–I, खदान II क खदान जिनकी कुल क्षमता 30.6 एम टी पी ए है और चार थर्मल पावर स्टेशन अर्थात टी पी एस–I एवं टी पी एस–I विस्तार और टी पी एस–II जो तामिलनाडु में स्थित है और बरसिंगसर टी पी ए जो राजस्थान राज्य में स्थित है जिनकी क्षमता 2740 मे.वा. है।

एनएलसी की सभी खानों तथा विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली तथा पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

➢ प्राधिकृत पूंजी

एन एल सी की प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत इक्विटी पूंजी 1677.71 करोड़ रु है। 30.11.2014 तक भारत सरकार द्वारा निवेश निम्नानुसार है।

इक्विटी	(भारत सरकार का हिस्सा) 1509.94
भारत सरकार द्वारा ऋण	(प्रजनित ब्याज सहित) शून्य

➢ उत्पादन निष्पादन

दिसम्बर, 2014 के अंत तक वर्ष 2014–14 के दौरान अधिकार समाप्ति, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन तथा जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए अनंतिम नीचे दिया गया है:

उत्पाद	ईकाई	ब.अ. 2014–15	अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014		जनवरी 2015 से मार्च 2015 (अनंतिम)
			लक्ष्य	वास्तविक	
अधिकार	एम एम3	155.00	113.65	107.87	41.35
लिग्नाइट	एम टी	25.60	18.59	17.15	7.02
विद्युत सकल	एम यू	20285.00	14462.80	14201.93	4995.00
विद्युत निर्यात	एम यू	17082.00	12155.80	11982.06	4188.00

➢ उत्पादकता

2013–14 और 2014–15 (दिसंबर, 2014 तक) में उत्पादकता निष्पादन तालिका में दिया गया है।

- **प्रत्येक शिफ्ट में उत्पादन (ओएमएस)**

ओएमएस	ईकाई	2013–14 वास्तविक	2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक)	
			लक्ष्य	वास्तविक
खदान	टन	12.64	10.17	10.93
थर्मल	कि.वा.घंटे	22222	16851	21038

- **संयंत्र भार कारक (पीएलएफ)**

दिसंबर, 2014 तक 2013–14 और 2014–15 के दौरान टीपीएस–I, टीपीएस–I विस्तार, टीपीएस–II और बरसिंगसर टीपीएस द्वारा प्राप्त पीएलएफ निम्नानुसार है:–

पीएलएफ	2013–14 वास्तविक	2014–15 (14 अप्रैल से दिसंबर, 2014 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक
टी.पी.एस. आई	77.22	68.28	65.58
टी.पी.एस. आईई	89.48	76.70	89.45
टी.पी.एस.आईआई	86.81	72.18	83.16
बरसिंगसर टीपीएस	65.66	72.79	60.23

➢ **2014–15 (दिसंबर, 2014 तक) उत्पादवार बिक्री निम्नानुसार है:**

उत्पाद	बिक्री (अनंतिम) (रु. करोड़ में)
लिग्नाइट	358.99
विद्युत	3766.52
अन्य	21.55
उत्पाद शुल्क	(-) 6.95
कुल	**4139.71**

➢ **मानवशक्ति**

31 दिसंबर, 2014 को एनएलसी की कुल मानवशक्ति नीचे दर्शायी गई है:

श्रेणी	तकनीकी	गैर तकनीकि	अन्य	कुल
कार्यकारी	3481	560	242	4283
गैर कार्यकारी	4272	927	2703	7902
कामगार	384	242	3602	4228
कुल	8137	1729	6547	16413

➢ **कर्मचारी कल्याण**

- कर्मचारियों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत कल्याणकारी उपाय किए गए
- कर्मचारियों को 100 प्रतिशत आवास
- रियायती कैंटीन सुविधाएं और वर्दी / जूते
- स्कूली छात्रों को मेघा छात्रवृत्ति
- अनु.ज. / अनु.ज.जाति के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति
- समूह दुर्घटना बीमा स्कीम
- उच्च अर्हता प्राप्त करने हेतु विशेष वेतनवृद्धि
- लंबी सेवा पुरस्कार
- विवाह एव अधिवर्षिता उपहार
- कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम
- मृत्यु राहत स्कीम

आर एंड आर नीति–एन एल सी

पहले से अपनाई गई पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के स्थान पर राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2007 लाई गई है।

एन एल सी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- अधिग्रहीत घर के क्षेत्र की वास्तविक क्षति की सीमा तक घर के भूखंड के आबंटन हेतु न्यूतम आवश्यकता की तुलना में एन एल सी प्रत्येक पात्र पी ए एफ को न्यूनतम 120 वर्ग मीटर का पुनर्स्थापना भूखंड आबंटित कर रही है।
- हालांकि सरकारी भूखंड पर रहने वाले निवासियों / अतिक्रमक किसी मुआवजे के हकदार नहीं हैं, पिर भी एन एल सी घर की संरचना के 50% मूल्य के बराबर राशि अनुकंपा आधार पर भुगतान कर रही है जिसमें इन्क्रोचर रह रहा है और इसका हिसाब किताब पी डब्ल्यू डी द्वारा अनुमोदित प्लिग एरिया रेट के द्वारा अनुमोदित प्लिथ एरिया रेट के आधार पर किया जाएगा।
- एन एल सी ने एन एल सी में आई टी आई प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के बदले परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से सीधे आवेदन प्राप्त करने के लिए एक विशेष सरकारी आदेश प्राप्त किया है। एन एल सी एन एल सी के प्रशिक्षण परिसर में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की भी व्यवस्था का रहा है और उपयुक्त बाह्य प्रशिक्षण स्कूलों / एजेंसियों के लिए अभ्यर्थियों को प्रायोजित करता है।
- एन एल सी इन प्लांट प्रशिक्षण दे रहा है और साथ ही पी ए पी को परियोजना हेतु अवसर भी प्रदान कर रहा है।
- जहां कहीं संभव हो एन एल सी कानूनी तरीके से लड़ने के बजाय लोक अदालतों के माध्यम से बढ़े हुए क्षतिपूर्ति संबंधी मुद्दों को सुलझा रहा है। प्रभावित ग्रामीणों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों तथा जिला कलेक्टरों की उपस्थित में एन एल सी तथा भूमि स्वामियों के बीच दर पर बातचीत की जाती है।

वर्ष 2006 से अधिग्रहित जमीन के लिए निम्नलिखित दरों का निपटारा किया गया है :–

मार्च 2008 में त्रिपक्षीय निपटारे के अनुसार :–

वर्गीकरण	सभी पूर्व भुगतानों सहित दर
वेटलैंड तथा सिंचाईयुक्त शुष्क भूमि	500000 रुपए प्रति एकड़
मानालकी शुष्क भूमि	425000 रुपए प्रति एकड़
आवास स्थल	25000 रुपए %

अक्तूबर 2009 में किए गए त्रिपक्षीय निपटारे के अनुसार दरों का अतिक्रमण करते हुए

वर्गीकरण	सभी पूर्व भुगतानों सहित दर
वेटलैंड तथा सिंचाईयुक्त शुष्क भूमि	600000 रुपए प्रति एकड़
मानालकी शुष्क भूमि	500000 रुपए प्रति एकड़
गोंगाइकोदान गांव के आवास स्थल (ग्राम पंचायत)	= 50000 रुपए 15000 रुपए विशेष प्रोत्साहन =65,000 प्रतिशत रुपए
अन्य गांवों के लिए आवास स्थल	25000 प्रतिशत रुपए

अब तक 266 लोक अदालतों में 16434 बर्धित क्षतिपूर्ति का निपटान कर दिया गया है। एन एल सी ने निपटान प्रक्रिया के सम्पूर्ण कंप्यूटरीकरण के जरिए अधिकतम निपटारा किया है। इन उपायों के कारण एन एल सी को भूमि अधिग्रहणमें न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और अप्रैल 2006 से 1268 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की जा चुकी हे।

- प्रमुख लिग्नाइट खनन तथा विद्युत कंपनी चलने के लिए एन एल सी ने निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं की शुरूआतः–
- विथनोक लिगनाइट थर्मल पावर स्टेशन (1x250 मे.वा.) विथनोक खान (2.25 एम टी प्रति वर्ष)
- बारसीनगार थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेन्सन (1X250 मे.वा.) तथा 1.90 एम टी पी ए हल्दिया लिग्नाइट खान
- उत्तर प्रदेश (एन एल सी तथा यू पी आर वी यू एन एल) कोयला आधारित घाटमपुर (एन यू पी पी एल) संयुक्त थर्मल पावर स्टेशन (3X660 मे.वा.)
- तमिलनाडु में तटीय सिरकली थर्मल पावर प्रोजेक्ट 4000 मे. वा.
- बरसिंगसर, राजस्थान में 10 मे.वा. सौर संयंत्र
- सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

➢ सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लि. तेलंगाना सरकार का राज्य उद्यम है जिसमें तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार की इक्विटी शेयर धारिता क्रमश 51.49 है।

➢ कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

लक्ष्य 2014–15	लक्ष्य 2014–15 (दिसम्बर 2014 तक)	वास्तविक 2014–15 (दिसम्बर 2014 तक)
55.00	39.38	35.24

➢ उत्पादकता

वर्ष 2014–15 के दौरान (अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014) के दौरान ओ एम एस 3.75 टन रहा जबकि 2013–14 में यह 3.50 टन था।

	2014–15 (दिसम्बर 2014 तक)	2013–14 (दिसम्बर 2013 तक)
ओ एम एस टन में	3.75	3.50

➢ श्रमशक्तिः

31.03.2014 तक एस सी सी एल के कर्मचारियों की संख्या 59074 थी जिसमें 2018 महिला कर्मचारी थीं।

➢ कर्मचारी कल्याण

एस सी सी एल अपने कर्मचारियों को सभी कल्याण सुविधाएं प्रदान कर रहा है खास कर स्वास्थ्य, सफाई, आवास, कामगारों के बच्चों को शिक्षा, पेय जल की आपूर्ति, सड़क निर्माण, कर्मचारियों तथा उनके परिवार में स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार और साथ ही सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के क्षेत्र में।

एस सी सी एल ने वर्ष 2014–15 (दिसंबर 2014 तक) के दौरान 405.23 करोड़ लाख (अनंतिम) रुपए का व्यय किया है।